न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 139/2024

वादी :— नाथूराम पुत्र स्व. दुदाराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी कमलजी भटटे के पीछे जॉजावतों का नया बेरा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**— 10/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टेयर आई हुई है, जो वादी की खातेदारीसुदा, कब्जाकाश्तसुदा भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार नारायणसिंह पुत्र मगाराम जाति सीरवी राठौड़ निवासी बिलाड़ा के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार नारायणसिंह से वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 13.07.1977 को वादी द्वारा खरीद की। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा टाईपिस्ट नारायणसिंह राठौड़ द्वारा टाईप करवाया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटिवश वादी के सही नाम नाथूराम के स्थान पर अशुद्ध नाम नाधाराम टाईप कर दिया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी वादी का अशुद्ध नाम नाथाराम दर्ज किया गया। तब से वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अशुद्ध नाम नाथाराम दर्ज चला आ रहा है, जबकि वादी का सही नाम नाथूराम है। जिसके सम्बंध में वादी के निजी / सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक डायरी एस.बी.आई बैंक शाखा बिलाड़ा की व वादी की राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5922/14 की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 बाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम नाथूराम दर्ज है। वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में वादी का सही नाम नाथूराम दर्ज होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम नाधाराम दर्ज होने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है। वादी अपने सरकारी व निजी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम नाथाराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम नाथूराम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम नाथाराम की जानकारी होने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पर प्रतिवादी को वादी के अशुद्ध नाम नाथाराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम नाथूराम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादी का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम नाथाराम के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज मे दर्ज सही व शुद्ध नाम नाथूराम के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 13.07.1977 को वादी द्वारा खरीद करने से, उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में टाईपिंग त्रुटिवश टाईपिस्ट नारायणसिंह राठौड़ द्वारा वादी का अशुद्ध नाम नाथाराम टाईप करने से, रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम नाथाराम दर्ज किये जाने से तथा उपरोक्त अशुद्धि की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने सरकारी व निजी दस्तावेज में दर्ज सही व शुद्ध नाम नाथूराम के अनुसार चालु जमाबन्दी में दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर व इस हेतु माननीय न्यायालय ही सक्षम होने का कहने पर बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम नाथाराम पुत्र दुदाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारड़िया (सीरवी) जॉजावत सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध नाम, नाथूराम पुत्र दुदाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारड़िया (सीरवी) जॉजावत सा. देह खातेदार दुरूस्तध्शुद्ध किये जाने की डिक्री/आदेश फरमावें। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 में स्थित भूमि खसरा नंबर 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में वादी का नाम 'नाथाराम दर्ज है जो पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 13.07.1977 के आधार पर दर्ज हुआ है। वादी द्वारा पेश उसके निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक डायरी आदि व बिलाडा चक नं. 4 के खसरा नंबर 5922/14 ग्राम बिलाडा चक 4 की चालू जमाबंदी में वादी का नाम नाथूराम दर्ज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नंबर 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज वादी के अशुद्ध नाम नाथाराम के स्थान पर उनके उपरोक्त निजी/सरकारी दस्तावेज के आधार पर शुद्ध नाम नाथूराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है।प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नाथूराम पुत्र दुदाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 614 ग्राम बिलाडा चक 4 की चालु जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 , प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड बैचाननामा नारायणसिंह बहक नाथूराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड वादी, प्रदर्श 4 बैंक डायरी वादी, प्रदर्श 5 जनआधारकार्ड, प्रदर्श 6 पैन कार्ड वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड नाथूराम पुत्र दुदाराम , प्रदर्श 2 पहचान पत्र नाथूराम पुत्र दुदाराम, प्रदर्श 3 जनआधारकार्ड फुलीदेवी पत्नी नाथूराम, प्रदर्श 4 पैनकार्ड नाथूराम पुत्र दुदाराम, प्रदर्श 5 एसबीआई बैंक की डायरी नाथूराम पुत्र दुदाराम, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम नाथूराम पुत्र दुदाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नाथाराम पुत्र दुदाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नाथूराम पुत्र दुदाराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाथाराम पुत्र दुदाराम के स्थान नाथूराम पुत्र दुदाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में नाथाराम पुत्र दुदाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र दुदाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– नाथूराम पुत्र स्व. दुदाराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी कमलजी भटटे के पीछे जॉजावतों का नया बेरा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि

राजस्व वाद संख्या :– 139/2024

निर्णय **दिनांक** :– 10/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार. मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 5922/3 रकबा 0.5178 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में नाथाराम पुत्र दुदाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र दुदाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीखं वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा